

148

Notice o/s 17(1a) of w T act

आई०टी०एन०एन-34
ITNS-34

आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 148 के अधीन सूचना
Notice under Section 148 of the Income Tax Act, 1961

स्वाधी सेवा सं०.....
P. A. N.....

का कार्यालय
Office of the.....

सेवा में,
To. 14/S. M & M Associates
1-10-72/2/3
Modi Buildings
Begumpet Sec' Bad

तारीख.....
Date..... 27-3-89


चूंकि मेरे पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि निर्धारण वर्ष 19..... 82..... 19..... 82 के लिए कर से प्रभावी आयकी आय को आय जिसके सम्बन्ध में आप पर आयकर निर्धारित किया जाना है आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 147 के माध्यम से अनुसार निर्धारण से छूट गई है।

Whereas I have reason to believe that your income the income of in respect of which you are assessable chargeable to tax for the assessment year 19..... 19..... has escaped assessment within the meaning of Section 147 of the Income Tax Act, 1961. 17.2 w s 21 (1A) of w T act.

इसलिए मैं उक्त निर्धारण वर्ष की आय की निर्धारण / पुनः निर्धारण करने का प्रस्ताव करता हूँ और इसके द्वारा आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना के तामिल होने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर उक्त निर्धारण वर्ष की निर्धारण योग्य अपनी आय / की आय, जिसके सम्बन्ध में आयकर निर्धारण किया जाता है, कि विवरणी निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करे।

I, therefore, propose to assess/re-assess the income for the said assessment year and I hereby require you to deliver to me within 30 days from the date of service of this notice, a return in the prescribed form of your income the income of in respect of which you are assessable for the said assessment year.

यह सूचना आयकर आयुक्त...../केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से आवश्यक समाधान प्राप्त करके जारी की गई है।
This notice is being issued after obtaining the necessary satisfaction of the Commissioner of Income-tax.....
/the Central Board of Direct Taxes.



Handwritten signature

(अधिकारी के हस्ताक्षर)
(Signature of Officer)
नाम
Name.. ASSISTANT COMMISSIONER
पद
Designation.. CIRCLE-I (4), HYDERABAD

P. T. O.
804030

नोट : 1. यदि आपको विवरणी फार्म भरने में कोई कठिनाई हो या आप अपने आयकर शायिता से सम्बन्धित किसी किस्म का स्पष्टीकरण चाहते हो तो कृपया इनसे संपर्क स्थापित करें :—

जन सम्पर्क अधिकारी
 आयकर अधिकारी (मुख्यालय)
 आयकर अधिकारी वार्ड/सर्कल
 निरोक्षीय सहायक आयकर उपयुक्त सर्कल

Note : 1. If you feel any difficulty in the matter of filling in the return form or desire clarification on any other matter pertaining to your income-tax liability, you may please contact the :

Public Relations Officer
 Income-tax Officer, (Headquarters)
 Income-tax Officer, Ward/Circle
 I. A. C. Circle

2. कम्पनीयों के लिए निर्धारित फार्म, फॉर्म नं० 1 है।

कम्पनीयों से निम्न अन्य निर्धारितियों के मामले में निर्धारित फार्म साधारणतया फार्म सं० 2 है। यदि 'वेतनों', 'प्रतिभूतियों पर व्याज' और 'अन्य स्त्रोतों से आय' में से किसी एक शीर्ष या एक से अधिक शीर्षों के अतिरिक्त अन्य आय से भिन्न चोपित की जाने वाली और कोई आय न हो, यदि वह फार्मों, व्यक्तियों के संयम या व्यष्टियों के निकारों के जोयरी तक ही सीमित हो अथवा जो 'गृह सम्पत्ति से आय' या / और 'पूजी अपिलाय', शीर्ष के अतिरिक्त प्रत्यय हो, तो ऐसी दशा में यदि वह चाहे तो फार्म संख्या 3 में अपनी विवरणी दे सकता है।

एक सादा फार्म संख्या इसके साथ संलग्न है। यदि यह आपके लिए उपयुक्त न हो तो आप आयकर अधिकारी से इसकी बदल कर उपयुक्त फार्म ले सकते हैं।

2. The prescribed form in the case of Companies is Form No. 1.

In the case of assesses other than companies the prescribed form is ordinarily form No. 2. However, if the assessee has no income to declare other than what is chargeable under one or more of the heads, "Salaries", "Interest on securities" and "Income from other sources", confined shares from firms, association of persons, or bodies of individuals or is chargeable under the head "Income from house property" or/and "Capital gains", he may furnish the return in Form No. 3.

A blank form No. is enclosed herewith. If this is not suitable to your case you may exchange it for the appropriate form from the Income-tax Officer.

To assess the residue corpus assessable u/s 21.1(A) of the act
 in respect of the residue corpus relating to m.f. or associates from
 for the A.Y. 1981-82